

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

संकल्प

विषय :- त्रिस्तरीय पंचायतों को उद्योग विभाग के कार्यों के संदर्भ में शक्तियों के प्रत्याखोजन के संबंध
संविधान के अनुच्छेद की धारा-243 (जी0) की शर्तों के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों पर पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के नै कार्य करने में समर्थ बनाने में सक्षम हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं को करने, लागू करने, अनुश्रवण करने की शक्ति प्रदान करे। इसी क्रम में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम-20 की धारा-75, 76 तथा 77 में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अधिकार प्रदान गये हैं। इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए उद्योग विभाग के द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण किया आवश्यक किया गया है।

उक्त के क्रम में उद्योग विभाग का मुख्य उद्देश्य वर्तमान झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 समय-समय पर अधिसूचित राज्य/केन्द्र की नीतियाँ जो औद्योगीकरण के क्रम में लागू होंगी, के आलोक में उद्योगों का विकास करना है तथा सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को गाँव तक ले जाने का विशेष प्रयास किया है ताकि गाँवों एवं प्रखण्डों का सर्वांगीण विकास हो सके। वर्तमान में उक्त संवैधानिक प्रावधानों के क्रम निर्देशित उद्देश्यों के पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी हेतु उद्योग विभाग द्वारा निम्नांकित शक्तियों को परामर्शी परिषद की दिनांक 21.06.13 की बैठक में मद सं0-1, विभागीय संज्ञापक- 1056 दिनांक 07.06.13 के क्रम में प्रत्यायोजित किया जाता है।

कार्य (Functions)

ग्राम पंचायत	<ol style="list-style-type: none"> 1. Entrepreneurship Development Programme (EDP)/ Skill Development Programme (SDP)/ Entrepreneurship cum Skill Development Programme (ESDP) or Vocational Training (VT) आदि योजनाओं में लाभार्थियों की सूची को ग्राम पंचायत के अवलोकनार्थ रखी जा सकेगी। 2. उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना में संबंधित पंचायतों का सहयोग अपेक्षित होगा। 3. स्थानीय उद्योगों में नियोजन हेतु प्रशिक्षुओं के चयन में ग्राम पंचायत सहयोग प्रदान करेगी। 4. खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं में हितवाहियों का चयन ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर की जायेगी। 5. रेशम के विकास के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर चयनित लाभुकों की सूची रखी जायेगी। 6. ग्राम पंचायत सामान्य सुलभ केन्द्रों के लाभुकों के चयन में सहायता प्रदान करेगी। 7. परंपरागत कुशल कारीगरों की पहचान कर उसके अनुरूप घरेलू उद्योगों के विकास की समेकित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी। 8. रेशम, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान करेगी।
--------------	---

	9. कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के घयम में सहयोग करेगी।
पंचायत समिति	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में लघु उद्योग के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार कर में सहयोग करेगी 2. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में अग्र परियोजना केन्द्रों, खादी एवं ग्रामोद्योग केन्द्र का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी।
जिला परिषद	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला परिषद PMEGP/ प्रधानमंत्री रोजगार योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। 2. स्थानीय क्षमता (Identification of traditional skill) का आकलन, MSE उद्योग व विकास में जिला परिषद जिला उद्योग केन्द्र को दिशा-निर्देश देगा। 3. जिला परिषद देशम के विकास योजना खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं, हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र का योजना का पर्यवेक्षण ए अनुश्रवण करेगी।

5. कर्मी (Functionaries)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला परिषद की सभी होनेवाली बैठकों में भाग ले सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि को जांचव देंगे। 2. सहायक उद्योग निदेशक, (रिश्म) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पढ़ने वाले सभी वि परिषद की बैठक में भाग लेंगे। 3. सहायक उद्योग निदेशक, (रिश्म) सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/अनुदान/ लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 4. हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं स्य पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला परिषद की सभी बैठकों में भाग लेंगे। 5. हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं स्य पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 6. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे। 7. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र सभी विभागीय व योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 8. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान भी संबंधित जिला के जिला परिषद की बैठक में लेंगे। 9. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान संस्थान के क्रिया-कलाप की जानकारी देंगे। 10. जिला स्तर पर क्रियान्वित की जानेवाली वार्षिक योजनाओं की प्रगति के प्रतिवेदन अनुश्रवण जिला परिषद की बैठकों में की जावेगी।
--	---

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ? इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधितों को सूचनाार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश

80/-

(अनुराग प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव

झापांक..... 1307..... राँची, दिनांक..... 11-07-2013.....

02/उ0पि0 (विधि) बैठक-08/13

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, होरगडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित एवं उसके 100 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

11/07/13
सरकार के सचिव